

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

संख्या-1/अ0-1004/2017-सा0प्र0- 4538 / सुश्री उदिता सिंह, भा0प्र0से0(2014), अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-10.04.2017 से 25.04.2017 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री उदिता सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के प्रभार हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कटिहार को अधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

के.ए.ए.
13/4/17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/अ0-1004/2017-सा0प्र0- 4538/पटना-15, दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी पदाधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1, 6 एवं 12) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

के.ए.ए.
13/4/17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।